दूरभाष: 0121–2643400(असैनिक)
फैक्स : 0121–264418
ई–मेल :cbmeerut@dgest.org

संख्या / 167 / जी /
कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद्
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
मेरठ छावनी (उ0प्र0)
पिन : 250001
दिंनाक मार्च 2016

सेवा में,

1. महानिदेशक, रक्षा सम्पदा
   भारत सरकार, रंक्षा मंत्रालय,
   रक्षा सम्पदा भवन,
   उलान बटार मार्ग, दिल्ली छावनी –10।
2. जीओसी–इन–चीफ मध्य कमान,
   1,महात्मा गांधी मार्ग,
   लखनऊ छावनी ।
3. प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा,
   17,करियप्पा स्ट्रीट,
   लखनऊ छावनी ।
4. जीओसी,मेरठ सबएरिया,
   मेरठ छावनी ।
5. श्रीमति बीना वाधवा, उपाध्यक्ष
6. ब्रिगेडियर जे0एस बिश्नोई, एसईएमओ / स्वास्थ अधिकारी, पदेन सदस्य
7. श्री गौरव वर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
8. डीईओ, मेरठ वृत, मेरठ।
9. कर्नल सुबोध गर्ग, मनोनीत सदस्य
10. कर्नल ए0के0 वैद, मनोनीत सदस्य
11. ले0 कर्नल अतुल पुठिया, मनोनीत सदस्य
12. श्री राकेश त्यागी, जी0ई(एस), पदेन सदस्य
13. श्रीमति रिनी जैन, निर्वाचित सदस्य
14. श्रीमति बुशरा कमाल, निर्वाचित सदस्य
15. श्री नीरज राठौर, निर्वाचित सदस्य
16. श्री अनिल जैन, निर्वाचित सदस्य
17. श्रीमति मन्जू गोयल, निर्वाचित सदस्य
18. श्री धर्मेन्द्र सोनकर, निर्वाचित सदस्य
19. श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य

श्री राजीव श्रीवास्तव, सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित

1–श्री राजेन्द्र अग्रवाल, माननीय संसद सदस्य
2–श्री मुनकाद अली, माननीय संसद सदस्य
3–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, माननीय विधायक

विषयः– छावनी परिषद् मेरठ की विशेष बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय / महोदया,

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 43(2) के प्रावधानों के अनुपालन में दिनांक 31.03.2016 को 1200 बजे छावनी परिषद कार्यालय में सम्पन्न हुई छावनी परिषद् की विशेष बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित किया जा रहा है ।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(राजीव श्रीवास्तव)भा.र.स.से.
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
मेरठ छावनी।

छावनी परिषद्, मेरठ की वेबसाईट पर पोस्ट कर दिया गया - cbmrt.org.in
सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेज दिया गया

<u>यह कार्यवृत्त मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद है, किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी का मूल पाठ ही मान्य होगा।</u>

निम्न सदस्य उपस्थित थे

1.	मेजर जनरल के. मनमीत सिंह, जी.ओ.सी	अध्यक्ष
2.	श्रीमती बीना वाधवा	उपाध्यक्ष
3.	कर्नल सुबोध गर्ग	मनोनीत सदस्य
4.	कर्नल ए.के. वैध	मनोनीत सदस्य
5.	ले0 कर्नल अतुल पुठिया	मनोनीत सदस्य
6.	श्रीमती रिनी जैन	सदस्य
7.	श्रीमती बुशरा कमाल	सदस्य
8.	श्री नीरज राठौर	सदस्य
9.	श्री अनिल जैन	सदस्य
10.	श्रीमती मन्जू गोयल	सदस्य
11.	श्री धर्मेन्द्र सोनकर	सदस्य
12.	श्री विपिन सोढी	सदस्य
	श्री राजीव श्रीवास्तव	मु.अ.अ / सदस्य सचिव

निम्न सदस्य अनुपस्थित थे

ब्रिगेडियर जे.एस बिश्नोई, एसईएमओ	पदेन सदस्य
श्री राकेश त्यागी, जीई (एस)	पदेन सदस्य
श्री गौरव वर्मा, एडीएम	सदस्य

विशेष आमंत्रित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल	माननीय संसद सदस्य
श्री मुनकाद अली	माननीय संसद सदस्य
श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	माननीय विधायक

<u>१९८. शपथ ग्रहण</u>

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अन्तर्गत बोर्ड के अध्यक्ष बनने पर मेजर जनरल के.एम सिंह, स्टे0 कमाण्डर को अध्यक्ष के रूप मे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराना।

199. संकल्प

मेजर जनरल के0 मनमीत सिंह, स्टेशन कमांडर, मेरठ छावनी ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अनुपालन मे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली।

<u>२००. बजट अनुमान २०१५-१६(संशोधित) एवं २०१६-१७(वास्तविक) की स्वीकृति : मेरठ छावनी।</u>

सदंर्भ : मुख्यालय मध्य कमान पत्र संख्या 260506/बीई/क्यू3(बी) दिंनाक 19.02.2016 एवं निदेशायल रक्षा सम्पदा के पत्र संख्या 42119/बीई/मेरठ/2015–16/एलसी2 दिंनाक 23.02.21016।

छावनी परिषद् मेरठ के वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमान (संशोधित) एवं 2016–17(वास्तविक) के सम्बन्ध मे जी.ओ.सी इन सी मध्य कमान द्वारा निदेशालय रक्षा सम्पदा के संदर्भित पत्रों के माध्यम से दी गई स्वीकृति पर विचार एवं नोट करने हेतु।

कार्यालय रिपोर्ट

बोर्ड को सूचनीय है कि जीओसी–इन–सी, मध्य कमान ने छावनी परिषद मेरठ के वर्ष 2015–16 (संशोधित) एवं 2016–17(वास्तविक) बजट अनुमान को संदर्भित पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015–16 मे रू 45,61,740 एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 मे रू 57,83,000/– कम कर प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा द्वारा निम्न प्रस्तावित सहित स्वीकृत कियाः–

HEAD CODE	NAME OF HEAD	FY 2015-16 (R)		FY 2016-17(o)		REMARKS
		Cut by PDDE	Cut by GOC-in-C	Cut by PDDE	Cut by GOC-in-C	
A-4	Office Contingencies	0	800000	500000	0	*Purchase of Staff Car Innova. CBR to be passed for Standard Staff Car.
B-2(b)	Tax Contingencies	500000	0	500000	0	
D-2(a)	Buildings Repair	2500000	761740	1000000	2083000	
D-2(a)i	Hospital Repair	0	300000	0	300000	
D-2(a)ii	Schools Repair	0	300000	0	300000	
D-2(b)	Roads Repair	1000000	1500000	2000000	2000000	
D-2(c)	Drains Repair	2000000	900000	2000000	600000	
D-2(d)	Impv of Water Sup	0	0	0	500000	
D-2(e)	Store	1000000	0	1000000	0	
E-2(b)	Lighting Conting.	2500000	0	5000000	0	
E-6(b)	Garden Conting.	2000000	0	1000000	0	
F-1(b)	Hospital Conting.	2000000	0	0	0	
F-4(b)	Sanitation Conting.	2500000	0	2500000	0	
F-5(b)	Water Sup Conting	2500000	0	0	0	
G-1(b)	Schools Conting.	2500000	0	4000000	0	
	Total	**21000000**	**4561740**	**19500000**	**5783000**	

प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा ने सूचित किया कि स्वीकृति निम्न शर्तो पर दी गई हैः–

1. बजट अनुमान के डी–1 मद्व के अंतर्गत होने वाले वास्तविक कार्यों पर कोई खर्च न किया जाए जबतक कि छावनी लेखा संहिता 1924 के नियम 17ए एवं 19(ब) के अंतर्गत जी.ओ.सी इन सी से उसकी स्वीकृती न ले ली जाए।

2. स्थापना मे कोई संशोधन अथवा स्थापना मे कुछ जोडने के लिए कोई खर्च न किया जाए, यदि बजट अनुमान मे दिया गया हो जैसा भी मामला हो उसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृती हेतु आवश्यक प्रस्ताव जिसमे सभी सहायक दस्तावेज एवं छा0बो0स हो भेजा जाए।

3. बजट अनुमान मे दिए गए जिन्हे जी.ओ.सी इन सी द्वारा अनुमोदित किया गया है को छोडकर कोई भी अन्य खर्च न किया जाए।

4. घाटे वाले छावनी परिषद जहा साधारण अनुदान संस्तुत किया गया है, मु.अ.अ सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान मे केवल उतना ही खर्च करें जितना साधारण अनुदान मे केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि आवंटित की गई है। कोई भी कार्य आदेश जारी किए जाने/कार्य निष्पादन कराए जाने का निर्णय न लिया जाए। इस आधार पर कि साधारण अनुदान संस्तुत किया जा चुका है।

प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा की संस्तुति एवं जीओसी इन सी की स्वीकृती सहित सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

200. संकल्प

मु.अ.अ. ने बोर्ड को अनुमोदित अंतिम बजट अनुमानों के बारे मे बताया। बोर्ड ने नोट किया। निर्वाचित सदस्यों ने मांग की कार्यवृत्त को जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी दिया जाए। मु.अ.अ ने सूचित किया कि कार्यवृत्त छावनी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार रिकॉर्ड की जा रहा है एवं प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाएगा। इस सम्बन्ध मे उन्होने जीओसी–इन–सी एव प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा के निर्देशों के बारे मे भी बोर्ड को बताया।

२०१. निधि का विनियोजन :- बजट आंकलन २०१५-१६

बजट आंकलन 2015–16 मे छावनी निधि संहिता, 1924 के नियम 21 के अंतर्गत एक मुख्य मद्व के अल्प मद्व से अल्प मद्व मे निधि विनियोजन पर विचार कर अनुमोदित करने हेतू।

कार्यालय रिपोर्टः–

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी निधि संहिता, 1924 के नियम 21 के अंतर्गत एक मुख्य मद्व मे अल्प मद्व से अल्प मद्व मे निधि के विनियोजन करने की स्वीकृति देने हेतु छावनी परिषद सक्षम अधिकारी है।

निम्नलिखित निधि विनियोजन हेतु प्रस्तावित हैः–

1. बी2(ए) कर स्थापना से बी2(बी) कर आकस्मिकता मे	–	रू 3,00,000
2. जी1(ए) स्कूल स्थापना से जी1(बी) स्कूल आकस्मिकता मे	–	रू 30,00,000
3. एल4(जी) कानूनी खर्च से एल4(ए) स्टेशनरी मे	–	रू 7,00,000
4. एल4(जी) कानूनी खर्च से एल4(बी) छपाई मे	–	रू 3,00,000

छावनी निधि संहिता, 1924 के नियम 20(2) के अंतर्गत तैयार किए गए प्रस्वावित विनियोजन के साथ सम्बन्धित पत्रावली पट्ल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

201. संकल्प

विचार कर कार्यसूची मे प्रस्तावित विनियोजन को छावनी लेखा संहिता, 1924 के नियम 20(2) के अंतर्गत अनुमोदित किया गया। मु.अ.अ द्वारा विनियोजन मे मद्व जी1(बी) के सम्बन्ध मे बोर्ड को स्पष्ट किया गया कि शिखर 2015 मे हुए खर्च के कारण विनियोजन प्रस्तावित किया गया क्योकिं भाग लेने वाले छावनी परिषदों के द्वारा अभी तक बचा हुआ हिस्सा प्राप्त नही हुआ है।

२०२. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध।

श्री प्रदीप सिंघल, लेखाकार, छावनी परिषद् मेरठ से प्राप्त दिंनाक 25.01.2016 जिसमें जिसमें उन्होने स्वास्थ समस्या से साथ साथ व्यक्तिगत कारणों से छावनी परिषद् की सेवा से दिंनाक 01.04.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि श्री प्रदीप सिंघल, लेखाकार छावनी परिषद्, मेरठ ने अपने प्रार्थना पत्र दिंनाक 25.01.2016 के माध्यम से बताया है कि उन्होने छावनी परिषद् मे 37 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है एवं वह 59 वर्ष की आयु के हो चुके है। वह उच्च रक्तचाप से पीडित है एवं उनकी पत्नि भी स्वास्थ समस्याओं से पीडित है। उनके दोनों पुत्र भी मेरठ से बाहर निवास करते है इसलिए वह सेवाओं को जारी करने मे कठिनाईं महसूस कर रहे है। उन्होने छावनी परिषद, मेरठ की सेवाओं से दिंनाक 01.04.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध मे ध्यान सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 पर खीँचना है जो यह उपलब्ध कराता है कि एक सरकारी कर्मचारी जिन्होने 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर वह सेवानिवृत्त हो सकता है एवं जनहित मे नियुक्ति अधिकारी भी उन्हे सेवानिवृत्त कर सकता है, एवं ऐसे सेवानिवृत्ति के मामले मे सरकारी कर्मचारी एक सेवानिवृत्ति पेंशन का अधिकारी होगा परंतु सरकारी कर्मचारी को अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लेने की तिथि से 03 माह का पूर्व नोटिस नियुक्ति अधिकारी को देना होगा।

ध्यान नियम 48 के उपनियम (2) पर भी आकर्षित कराया जाता है जिसके अनुसार यदि कोई लोक सेवक इस नियम के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु नियोक्ता अधिकारी को सूचना पत्र यदि देता है, तो बाद मे वह उसको वापस लेने का अधिकारी नही होगा सिवाय स्वीकृत करने वाला अधिकारी विशेष स्वीकृति वापस लेने की उस प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर सेवानिवृत्ति की तारिख से पहले यदि ऐसा आदेश पारित कर दिया जाता है।

इस सम्बन्ध मे ध्यान नियम 48 के उपनियम (3) पर भी खींचना है जो कहता है कि इस नियम के उददे्श्य के लिए अभिव्यक्ति ''नियुक्ति अधिकारी' का मतलब है कि वह अधिकारी जिसके पास उस पद या सेवा पर भर्ती करने का अधिकार है जिससे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है।

श्री प्रदीप सिंघल छावनी परिषद् की सेवा मे कार्यालय आदेश संख्या 512 दिंनाक 01 मई 1979 के माध्यम से कनिष्ठ लिपिक के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए थे। साथ ही वह कनिष्ठ लिपिक के एक खाली पद पर छा0बो0स0 संख्या 20 दिंनाक 20.12.1979 के माध्यम से 2 वर्ष के प्रोबेशन अवधि पर नियुक्त किए गए एवं वह दिंनाक 01.05.1979 से छा0बो0स संख्या 10.08.1981 के आधार पर कार्यालय आदेश संख्या 809 दिंनाक 02.09.1981 के माध्यम से स्थायी कर दिए गए।

उन्हे कार्यालय आदेश संख्या 181 दिंनाक 07 जुलाई 2008 के माध्यम से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हे फिर आगे कार्यालय आदेश संख्या 76 दिंनाक

16.12.2014 के माध्यम से सलेक्शन ग्रेड लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हे आगे छा0बो0स संख्या 43 दिंनाक 26.02.2015 एवं आगे भाग एक कार्यालय आदेश संख्या 77 दिंनाक 28.02.2015 के माध्यम से पर्यवेक्षक वर्ग मे पदोन्नत किया गया एवं लेखाकार के पद पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया।

उपरोक्त दृष्टिगत वर्तमान मे व्यक्ति पर्यवेक्षक स्तर मे है एवं सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 42(3) के अनुसार उनके स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी छावनी बोर्ड है।

व्यक्ति के अनुरोध से साथ सम्बन्धित पत्रावली पट्ल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर मामले पर उचित निर्णय ले।

202. संकल्प

मु.अ.अ ने बोर्ड को अवगत कराया कि स्टाफ की कमी एवं प्रोन्नती प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है, अतः किया गया अनुरोध बोर्ड के हित मे नही है व खारिज किया जाए।

विचार कर निर्णय लिया गया कि श्री प्रदीप सिंघल, लेखाकार, छावनी परिषद् द्वारा सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को खारिज किया गया।

२०३. नीलामी

छावनी परिषद मेरठ कार्यालय मे दैनिक समाचार पत्रों नामित अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान मे दिंनाक 15.01.2016 एवं 18.02.2016 को व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात दिंनाक 30.01.2016 एवं 27.02.2016 को एक वर्ष हेतु आयोजित हुई निम्नलिखित निलामियों मे लगाई गई सर्वाधिक बोलियों एवं नीलामी कार्यवाही पर विचार करने हेतु।

कार्यालय रिपोर्ट

बोर्ड को सूचनीय है कि अखबारों मे व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात एक वर्ष हेतु छावनी परिषद मेरठ के कार्यालय मे दिंनाक 30.01.2016 एवं 27.02.2016 को सम्बन्धित अधिकार देने के लिए निम्नलिखित नीलामियां आयोजित की गई। नीलामियों का ब्यौरा निम्न है:—

क्रम संख्या	नीलामी का नाम एवं अवधि	सर्वाधिक बोलीकर्ता का नाम	पिछली अनुमोदित बोली	सर्वाधिक बोली	टिप्पणी
1	अप्रयोग सामग्री (स्क्रेप) की नीलामी	श्री संजीव भाटिया पुत्र श्री चरण दास	....	3,00,000/—	समिति जिसे बोर्ड द्वारा छा0बो0स 34 दिंनाक 16.09. 2016 के माध्यम से गठित किया गया था द्वारा एमआरपी अनुमोदित किया गया
2	छावनी जनरल अस्पताल मे पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों	श्री नितेश कुमार	26,000/—	66,000/—	

	का हस्तांतरण।				
3	छावनी परिषद मेरठ के प्रबंधन मे केवल मु.अ.अ आवास एवं र.स.अधि आवास एवं निषेध सैन्य क्षेत्र को छोडकर छावनी क्षेत्र की फलों की फसलों की नीलामी	श्री कल्वा	12,500 / –	14,400	....
4	गाँधी बाग मे एक वर्ष हेतु प्रवेश शुल्क की वसूली अधिकारों की नीलामी	श्री ब्रिजपाल पुत्र श्री लाल सिंह	....	–	–नीलामी पहली बार की जा रही है। – छा0परि0 के लिए नया राजस्व संसाधन।
5	वर्ष 2016–17 के लिए रिक्शा लाईसेंस फीस एवं रिक्शा एवं ठेला पंजीकरण शुल्क वसूलने के अधिकारों की नीलामी	श्री ब्रिजपाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह	10,70,000 / –	8,95,000 / –	....
6	हनुमान चौक से शिव चौक तक केन्द्रीय पार्किंग से पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों की नीलामी	श्री ब्रिजपाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह	7,25,000 / –	7,85,000 / –	....

सम्बन्धित पत्रावली एवं नीलामी पंजिका पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि विचार कर निर्णय ले।

203. संकल्प

सूची के क्रम संख्या 1 के सम्बन्ध मे विचार किया गया, निर्णय लिया गया मु.अ.अ. दोबारा से स्क्रैप के अनुसार एमआरपी बनाया जाए। तब तक सर्वाधिक बोली पर विचार स्थगित किया जाता है।

क्रम संख्या 2 एवं 3 को अनुमोदित किया गया। बोर्ड ने नोट किया कि माह मे प्रवेश शुल्क की वसूली रू 2.5 लाख से ज्यादा पर अतः प्रवेश शुल्क के मामले पर लगभग रू 30 लाख प्रतिवर्ष का पूर्वानुमान किया जा सकता है। निर्णय लिया गया कि सर्वाधिक बोली प्राप्त करने के लिए पुन नीलामी की जाए। मु.अ.अ. ने सुझाया कि यदि अगली नीलामी मे स्वीकार्य बोली प्राप्त नही होती है तो बोर्ड स्टाफ की संविदा पर नियुक्ति कर प्रवेश शुल्क की वसूली पर विचार कर सकता है। क्रम संख्या 5 व 6 के अधिकारों की पुनःनीलामी करने का निर्णय लिया गया।

श्री नीरज राठौर ने बिंदु उठाया कि ठेकेदार अवैध तरीके के 210 बी के सामने वाहन खडे करा रहा है एवं वसूली कर रहा है जो कि अनुबंध का भाग नही है, यह अवैध पार्किंग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बंद करानी चाहिए, यदि ठेकेदार द्वारा पालन ने करने के स्थिति

मे उसके ठेके को समाप्त कर उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त की जाए। मु.अ.अ कहा कि ऐसा किया जाएगा।

२०४. मेरठ छावनी क्षेत्र के भीतर पथ कर के वसूली अधिकार।

संदर्भ : छा0बो0स0 104 दिंनाक 27.01.2016।

छावनी क्षेत्र की सीमा के भीतर एक वर्ष की अवधि हेतु 06 स्थलों से पथकर वसूलने के अधिकारों के हस्तांतरण की ई–निविदा पर विचार करने हेतु।

कार्यालय रिपोर्ट

बोर्ड को सूचनीय है कि कार्यालय ने दिंनाक 02.01.2016 को ठेकेदार द्वारा ठेका छोडने के पश्चात पथ कर वसूली अधिकारों के लिए सीधी निविदाएं आमंत्रित की थी जिसके जवाब मे कार्यालय द्वारा केवल एक ही निविदा प्राप्त की गई। जिसकी मोहर बंद वित्तीय बोली खोली गई एवं पुनः मुहरबंद कर सुरक्षित रख दी गई जिसे पुनः बोर्ड की मौजूदगी मे दिंनाक 27.01.2016 को खोली गई जिसमे श्रीमती राजेश देवी पत्नि श्री हरदन सिंह द्वारा उद्वत रू 95000/– प्रतिदिन थी जो बोर्ड द्वारा छा0बो0स0 संख्या 104 दिंनाक 27.01.2016 के माध्यम से एक ही निविदा होने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

बोर्ड को आगे सूचनी है कि बोर्ड के हित मे अनुबंध/निविदा नोटिस की नियम एवं शर्तो के प्रारूप को परखने एवं अंतिम करने हेतु एक उप–समिति का गठन किया गया था। समिति ने नियम एवं शर्तों की कुछ कंडिकाओं मे संशोधन किया जो कि सिक्योरिटी राशि मे वृद्वि कर 40 लाख के स्थान पर वार्षिक बोली की 20 प्रतिशत एवं ठेकेदार द्वारा ठेका छोडने के लिए 90 दिनों के नोटिस अवधि को समाप्त करने की शर्त आदि है। संशोधित नियम एवं शर्तें पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड को सूचनीय है कि निविदा नोटिस एवं नियम व शर्तों के प्रारूप के अंतिमकरण के पश्चात, कार्यालय ने दिंनाक 21.02.2016 को अखबारों मे व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात 05.03.2016 कोम ई–निविदाएं आमंत्रित की थी परन्तु किसी भी समय कोई ई–निविदा प्राप्त नही हुई।

बोर्ड को सूचनीय है कि श्री सुबोध गर्ग एवं अन्य ने अपने प्रार्थना पत्र दिंनाक 19.03.2016 एवं मै0 गौरव ट्रेडर्स व अन्य ने प्रार्थना पत्र दिंनाक 19.03.2016 के माध्यम से कहा है कि निविदा की नियम एवं शर्तों की कुछ कंडिकाओं जैसे सिक्योरिटी राशि मे वृद्धि कर रू 40 लाख के स्थान पर वार्षिक बोली की 20 प्रतिशत करना, ठेकेदार द्वारा ठेके को छोडने के लिए 90 दिनों के पूर्व नोटिस एवं कांवड त्यौहार के समय अनुबंधीय राशि मे राहत की शर्त को समाप्त करना आदि के कारण, ठेकेदार ठेके की कार्यवाही मे भाग लेने के इच्छुक नही है एवं निम्न नियम एवं शर्तों को पथ कर निविदा मे शामिल करने की मांग की है :–

1. पिछली निविदा के अनुसार सिक्योरिटी राशि को रू 40,00,000/– रखना।
2. कांवड त्यौहार के दौरान किश्त मे राहत।
3. सभी किए गए खर्च जैसे स्टेशनरी, नियुक्त स्टाफ का वेतन, टीडीएस आदि की कटौती के आधार पर न्यूनतम रिजर्व दर रखी जाए।
4. ठेकेदार द्वारा ठेका छोडने के लिए 90 दिनों की अवधि वाली शर्त को पुन वापस किया जाए।

बोर्ड को सूचनीय है कि पथ कर वसूलने की वसूली अधिकारों की पिछली निविदा की अवधि दिंनाक 07.01.2016 2400 बजे ठेकेदार द्वारा ठेका छोडने के कारण समाप्त हो गई है। अनुबंध समाप्त होने के बाद से, पथ कर स्थलों से दिंनाक 28.01.2016 0000बजे से छावनी परिषद स्टाफ पथ कर वसूल रहा है।

बोर्ड को सूचनीय है कि 28.01.2016 से आज तक पथ कर वसूलने के लिए 20 स्थाई कर्मचारी एवं 40 अस्थायी मजदूर नियुक्त किये गए है एवं 28.01.2016 से 18.03.2016 तक रू 55,14,551/– वसूल किए जिससे रू 1,08,128 प्रतिदिन का औसत आता है। कार्यालय स्टाफ को आगे नियुक्त करना कार्यालय के लिए मुश्किल है। अतः बोर्ड इस मामले मे निर्णय ले।

सम्बन्धित पत्रावली पट्ल पर प्रस्तुत है।

<u>२०५. गाँधी बाग के पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों के हस्तांतरण की नीलामी।</u>

गाँधी बाग के पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों के हस्तांतरण की नीलामी पर विचार करने हेतु।

<u>कार्यालय नोट</u>

बोर्ड को सूचनीय है कि दैनिक अखबारों मे व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात एक वर्ष की अवधि हेतु विषयगत नीलामी छावनी परिषद कार्यालय मे दिंनाक 14.03.2016 को आयोजित की गई थी। मौ0 शुयेब सैफी पुत्र इश्तयाक सैफी निवासी सलारपुर, जलालपुर राजपुरा, मेरठ द्वारा सर्वाधिक रू 12,14,000 प्रतिवर्ष की बोली लगाई गई। नीलामी की नियम एवं शर्तों के अनुसार सर्वाधिक बोलीकर्ता ने एफडीआर के माध्यम से रू 50000 धरोहर राशि के रूप मे जमा कराए। नियम एवं शर्तों की कंडिका 2 के अनुसार सर्वाधिक बोलीकर्ता नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए बाध्य था परन्तु सर्वाधिक बोलीकर्ता एडवांस मे 25 प्रतिशत बोली राशि जमा करने मे विफल रहे। नीलामी की नियम एवं शर्तों के अनुसार यदि सर्वाधिक बोली कर्ता बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करने मे विफल रहता है, तो बोर्ड को बोलीकर्ता द्वारा पूर्व मे जमा कराई गई धरोहर राशि को जब्त करने का अधिकार है।

आगे यह भी सूचनीय है कि द्वितीय सर्वाधिक बोली रू 12,13,000/– श्री ब्रिजपाल द्वारा लगाई गई परन्तु निविदा मे ऐसी कोई कंडिका नही थी कि प्रथम सर्वाधिक बोली कर्ता के द्वारा बोली की 25 प्रतिशत राशि न जमा करने की स्थिति मे द्वितीय बोली कर्ता को मौका दिया जाए।यदि द्वितीय सर्वाधिक बोली कर्ता सर्वाधिक बोलीरू 12,14,000/– है जिसमें प्रथम बोली से बहुत कम अंतर है (रू 1000/– का)। बोर्ड द्वितीय बोली पर विचार कर सकता है, यदि बोर्ड के राजस्व के हित मे समझे एवं वह एक आम नीलामी मे भी प्राप्त हो चुका है। यदि द्वितीय सर्वाधिक बोलीकर्ता इसे अस्वीकार करता है तो, बोर्ड नई नीलामी आयोजित करे।

बोर्ड को सूचनीय है कि कथित पार्किंग की पूर्व निविदा दिंनाक 29.02.2016 को समाप्त हो गई थी, परन्तु स्थायी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पिछले अनुबंध की राशि की दर से एक माह की राशि जमा करने पर अनुबंध को एक अन्य माह लिए जो कि 31.03.2016 तक बढा दिया गया।

सम्बन्धित पत्रावली पट्ल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि विचार कर निर्णय ले।

204. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि छा0बो0स0 संख्या 104 दिंनाक 27.01.2016 के माध्यम से बनी समिति के सदस्य ठेकेदार द्वारा दिए गए पत्र/मांग पर विचार करेंगे एवं अपनी विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड के विचार हेतु अगली बोर्ड बैठक मे रखेंगे। बोर्ड ने मु.अ.अ. द्वारा कार्यालय स्टाफ के माध्यम से की जा रही पथ कर की वसूली मे आ रही कठिनाई को नोट किया, एवं इस उददेश्य के लिए दिंनाक 28.01.2016 से नियुक्त स्टाफ के कारण कार्यालय की कार्यवाही को प्रभावित कर रही है।

२०६. छावनी जनरल अस्पताल, मेरठ छावनी मे जी.डी.एम.ओ एवं स्टाफ नर्स की संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण।

छावनी जनरल अस्पताल, मेरठ छावनी में डा0 सतेन्द्र कुमार, जीडीएमओ एवं श्रीमती वकीला, स्टाफ नर्स की संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि डा0 सतेन्द्र कुमार, जीडीएमओ को संविदा आधार पर छा0बो0स0 124 दिंनाक 01.02.2013 के माध्यम से दिंनाक 12.02.2014 से रू 30,000/– के निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था एवं छा0बो0स0 18 दिंनाक 26.02.2015 के माध्यम से एक अन्य वर्ष हेतु नियुक्ति का नवीनीकरण किया गया था। अब, अनुबंध दिंनाक 25.02.2016 को समाप्त हो चुका है एवं डा0 सतेन्द्र कुमार ने अपने पत्र दिंनाक 20 फरवरी 2016 के माध्यम से उनके अनुबंध के नवीनीकरण हेतु अनुरोध किया है।

बोर्ड को आगे सूचनीय है कि श्रीमती वकीला, स्टाफ नर्स को संविदा आधार पर रू 15,000/– के निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि हेतु पत्र संख्या विविध/जी/हॉस्पिटल/ 489 दिंनाक 16.03.2015 के माध्यम से नियुक्त किया गया था। अब, उनका अनुबंध 19.03.2016 को समाप्त हो रहा है एवं उन्होने अपने प्रार्थना पत्र दिंनाक 08.02.2016 के माध्यम से उनके अनुबंध को नवीनीकरण करने का अनुरोध किया है।

आर.एम.ओ कैन्ट जनरल अस्पताल ने भी उनकी संविदा के नवीनीकरण का अनुरोध किया है क्योकिं उनका कार्य एवं आचरण छावनी जनरल अस्पताल मे सेवाएं जारी रखने के लिए सतोंषजनक है।

सम्बन्धित स्टाफ के साथ साथ आर.एम.ओ के प्रार्थना पत्र पट्ल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

206. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि संविदा नियुक्ति को मौजूदा नियम एवं शर्तो पर एक अन्य वर्ष हेतु नवीनीकृत किया गया। आगे निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 सरकार के शासनादेश पर विचार करते हुए दिंनाक 01.03.2016 से जीडीएमओ के मानदेय को रू 30,000/– के स्थान पर रू 35,000/– किया गया ।

२०७. कार्यालय के लिए डीजीएस एण्ड डी दरों पर फोटोकॉपी मशीन की खरीद।

कार्यालय के लिए डी.जी.एस एण्ड डी दरों पर फोटोकॉपी मशीन को खरीदने पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि मै0 हिन्दुस्तान कोरपो0, पीएल शर्मा रोड, मेरठ शहर रिको इण्डिया लिमिटेड के अधिकृत डीलर है। फर्म ने पत्र दिंनाक 26.03.2016 के माध्यम से उपरोक्त पर डीजीएस एण्ड डी दरों की दर सूची एवं अधिकृता का पत्र प्रेषित किया है। दर निविदा 31.03.2016 तक वैध है। फोटोकॉपी मशीन की डीजीएस एण्ड डी दरों सहित विशेषताएं निम्न हैः–

Sl No.	Description	Rates	Vat 5%	Quantity	Amount
1.	RICOH Digital Copier machine with Printer (Size A-3) (item No. 14 of page No. 2 of DGS & D rates). Model : Aficio MP2001L	72556/-	3627.80	01 No.	76,183.80

यह आवश्यक है कि एक नई फोटाकॉपी मशीन मै0 हिन्दुस्तान इलैक्ट्रानिक कोरपो0, मेरठ जो रीको के अधिकृत डीलर है वह खरीदी जाए जिसकी कीमत रूपये 76183.80 डीजीएस एण्ड डी दरों पर है। बजट प्रावधान मौजूद है।

सम्बन्धित पत्रावली डीजीएस एण्ड डी दरों की सूची सहित पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि मामले पर विचार कर उचित निर्णय ले।

207. संकल्प

कि कार्यसूची मे उल्लिखित नये फोटोकॉपियर मशीन एवं उसकी विशेषताओं पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि मशीन डीजीएसएण्ड डी दरों पर रू 76,183.80/– मे खरीद ली जाए।

२०८. गाँधी बाग मे सुधार एवं वित्तीय वर्ष २०१५–१६ मे नया राजस्व उत्सर्जन।

यह सूचनीय है कि छा0बो0स0 संख्या 80 दिंनाक 31.10.2015 के माध्यम से गाँधी बाग मे जनता के लिए बोटिंग एवं कार्ट सुविधा देने के लिए एक निर्णय लिया गया था। तद्वनुसार, बोर्ड के निर्णय को सुविधा देते हुए लागू करने के लिए, एवं इस नए श्रोत के राजस्व के उत्सर्जन हेतु 2 गोल्फ कार्ट एवं 2 नौका रू 1350/– प्रति गोल्फ कार्ट प्रतिदिन की दर से एवं रू 3000/– प्रति मोटर नौका प्रति दिन की दर से एवं पैडल नौका रू 665/– प्रति दिन की दर से जिसमें नौका/गोल्फ कार्ट की संचालकों का खर्च अलग से है पर नियुक्त किया गया था। इस सुविधा का आम जनता द्वारा बहुत स्वागत किया गया एवं राजस्व उत्सर्जन भी बहुत अधिक एवं आशा से अधिक साबित हुआ। उपरोक्त से हुए राजस्व उत्सर्जन का तिथि वार ब्यौरा निम्न हैः–

दिंनाक	नौका से राजस्व	कार्ट से राजस्व
27.02.2016 (after 4:00pm)	680/-	1860/-
28 & 29.02.2016	10880/-	15800/-

01.03.2016	2160/-	9120/-
02.03.2016	3360/-	4080/-
03.03.2016	4700/-	5460/-
04.03.2016	6800/-	3800/-
05.03.2016	5540/-	4360/-
06 to 08.03.2016	45880/-	28200/-
09.03.2016	7260/-	2180/-
10.03.2016	3000/-	1100/-
11.03.2016	6000/-	3320/-
12 to 14.03.2016	32940/-	17880/-
15.03.2016	6200/-	8800/-
16.03.2016	7920/-	4340/-
17.03.2016	9080/-	3940/-
18.03.2016	6180/-	3140/-
19.03.2016	0 : (maintenance)	4020/-
20 & 21.03.2016	28540/-	11160/-
22.03.2016	10800/-	3400/-
23.03.2016	5920/-	2140/-
24.03.2016	2100/-	0
25.03.2016	2040/-	0 } No service due to holi festival
26.03.2016	12400/-	0
27 & 28.03.2016	31760/-	13980/-
29.03.2016	11660/-	4720/-

दिंनाक 26.09.2015 से पहले से ही रू 5/– का प्रवेश शुल्क लगाया गया था जिससे 154 दिनों मे लगभग रू 2,68,975/– रूपये प्राप्त हुए जो कि रू 1747/– प्रति दिन का औसत है। दिंनाक 27.02.2016 से पहले गाँधी बाग मे आगंतुकों की औसत संख्या 352 आगंतुक प्रति दिन थी। 27.02.2016 एवं 02.03.2016 को बोटिंग एवं गोल्फ कार्ट सुविधा लागू होने के पश्चात, प्रवेश, नौका एवं गोल्फ कार्ट से रू 20,519/– प्रति दिन के औसत से रू 6,56,600/– की प्राप्ति हुई एवं आगंतुकों के औसत की संख्या 1581 आगंतुक प्रति दिन रहीः–

दिंनाक	गाँधी बाग के प्रवेश शुल्क का राजस्व
27.02.2016	2500/-
28 & 29.02.2016	15500/-
01.03.2016	8000/-
02.03.2016	4500/-
03.03.2016	4500/-
04.03.2016	5000/-
05.03.2016	5000/-
06 to 08.03.2016	37500/-
09.03.2016	5400/-
10.03.2016	4100/-
11.03.2016	5500/-
12 to 14.03.2016	24500/-
15.03.2016	8500/-
16.03.2016	6000/-
17.03.2016	6050/-
18.03.2016	5450/-
19.03.2016	4860/-
20 & 21.03.2016	19240/-
22.03.2016	7900/-
23.03.2016	4000/-
24.03.2016	3000/-
25.03.2016	7500/-
26.03.2016	8020/-
27 & 28.03.2016	23980/-
29.03.2016	9500/-

बढे हुए राजस्व को 29.02.2016 को हुई पार्किंग नीलामी जिसमें 30.01.2016 को रू 2.65 लाख प्रति वर्ष की सर्वाधिक बोली प्राप्त हुई मे पार्किंग शुल्क वसूलने के अधिकारों मे शामिल किया गया एवं उसके बाद 14.03.2016 को पुनः नीलामी मे रू 12.14 लाख प्रतिवर्ष की बोली प्राप्त हुई। अतः राजस्व उत्सर्जन बहुत ही आश्चर्यजनक रहा एवं अब छावनी परिषद का एक बहुत खास राजस्व का संसाधन बन गया है।

गोल्फ कार्ट एवं नोका की नियुक्ति फिलहाल एक माह के लिए थी। बोर्ड वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निम्नलिखित पर विचार कर सकता हैः–

(क) कार्ट एवं नौका सुविधा को 03 वर्ष के लिए नियुक्त करना

(ख) गोल्फ कार्ट एवं नौका उपलब्धक को राजस्व बंटवारें के आधार पर नियुक्त करना

(ग) गोल्फ कार्ट एवं नौका खरीदकर अपनी सम्पत्ति बनाना एवं उसे चलाने के लिए स्टाफ की नियुक्ति करना।

सम्बन्धित दस्तावेज पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

209. संकल्प

बोर्ड ने विस्तृत विचार कर निर्णय लिया गया कि पूर्व छा0बो0स0 के क्रम मे , सुरक्षा कारणों एवं प्रस्ताव मे व्यापारिक गतिविधि दिंखने के कारण भैंसाली मैदान के प्रयोग पर विचार नही किया जा सकता। अतः, यदि आवेदक समारोह गाँधी बाग मे करना चाहे, तो वह बोर्ड के विचार एवं निर्णय ले लिय बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

210. संकल्प

1. उपाध्यक्ष ने मुदद्दा उठाया कि मौजूदा ठेकेदार द्वारा चल रहे जन कार्यों को पूरा करने के लिए मौजूदा नियम एवं शर्तों पर एक माह के लिए विस्तारित कर दिया जाए चुंकि आदेश 2015–16 मे जारी किए जा चुके है। बोर्ड सर्वसहमति से राजी हुए। मु.अ.अ ने समझाया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 कोई भी नया कार्य आदेश जारी नही किया जा सकता क्योकिं वित्तीय वर्ष 2015–16 आज समाप्त हो गया है। बोर्ड ने निर्णय लिया कि बोर्ड द्वारा पारित ऐसे कार्य उपरोक्तानुसार पुरानी अनुमोदित दरों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 मे करा लिए जाए।

2. उपाध्यक्ष द्वारा एल.ई.डी लाईटें लगाने का मुदद्दा उठाया गया, अध्यक्ष छावनी परिषद् एवं सभी सदस्य इस पक्ष मे थे कि सोडियम वेपर लेम्पस को एल.ई.डी लाईटों से जल्द से जल्द कर दिया जाए। मु.अ.अ ने सूचित किया कि निविदा प्राप्त होने के पश्चात वह विस्तृत कार्यसूची अगली बोर्ड बैठक मे लाएंगे।

3. निर्वाचित सदस्यों ने यह कहते हुए स्कूलों के सामने वाहन खडे करने का मुददा उठाया कि स्कूलों के प्रधानाचार्यों से पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए परिवाद पत्र दायर किए गए है। मामले पर विस्तृत चर्चा की गई । निर्णय लिया गया कि निश्चित समय

के लिए स्कूल खुलने एवं बंद करने के समय प्राईवेट वाहन खडा करने की अनुमति दी जाए। सरकारी भूमि पर निर्धारित समय के ज्यादा स्कूल एवं प्राईट वाहन खडा करने की स्थिति मे उन पर वह लगाया जाए एवं मु.अ.अ के द्वारा अन्य कानूनी कार्यवाही की जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि स्कूल प्रबंधन/प्रधानाचार्यो के विरूद्ध वसूली के परिवाद मु.अ.अ द्वारा न्यायालय से वापस लिये जाए।

4. श्री विपिन सोढी निर्वाचित सदस्य ने अनुरोध किया कि बोर्ड जिला मजिस्ट्रेट को एमएलए निधि के माध्यम से कार्य कराने के लिए अनापत्ति दे। उन्होने जिलाधिकारी मेरठ के लंबित पत्र की ओर ध्यान खींचा। मु.अ.अ ने सूचित किया कि भूमि बी.4 मे शामिल है एव अतः सिविल कार्यों के लिए छावनी परिषद द्वारा अनापत्ति नही दी जा सकती। निर्णय लिया गया कि मामला अगली बैठक तक स्थगित किया जाए।

सदस्य सचिव
Member Secretary
मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer
Meerut Cantt

dated: 31st March 2016

अध्यक्ष
छावनी परिषद मेरठ
President
Cantonment Board, Meerut

Copied By:

Verified By:

True Copy

Office Superintendent,
Cantt Board, Meerut.